

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-एफ4(ई)(1) {6} /अलेसे-III/ दिनांक 13.6.2012

आदेश संख्या 97 /2012-13

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों के स्थानान्तरण /पदस्थापन एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली (IFMS) के कार्य हेतु कालम संख्या 4 में अंकित विभाग/ कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम/पदनाम सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय का नाम	वि०विवरण
1	2	3	4	5
1	कैलाश चन्द सैन, सहायक, लेखाधिकारी	राजस्थान अनु.जाति/जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर	निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर	रिक्त पद पर (IFMS)
2	मुकेश वर्मा, सहायक लेखाधिकारी	निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर	निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर	रिक्त पद पर (IFMS).
3	नरेन्द्र कुमार शर्मा, लेखाकार	आर०यू०आई०डी०पी०, जयपुर	निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर	रिक्त पद पर (IFMS).
4	सवेजीत सिंह सुदान, क०लेखाकार	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर	निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर	रिक्त पद पर (IFMS).
5	जिमल कुमार जैन, क०लेखाकार	राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर	निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर	रिक्त पद पर (IFMS).
6	चन्द्रोदय श्रीमाली, क०लेखाकार	निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर	रिक्त पद पर (IFMS).

उक्त आदेश राज्य सरकार वित्त {राजस्व} विभाग के पत्र क्रमांक प.2 (1) वित्त/ राजस्व/ 2012 दिनांक 12.06.2012 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में लोकहित में जारी किये जाते हैं ।


निदेशक

क्रमांक:-एफ4(ई)(1) {6} /अलेसे-III/ 2551 - 2570 दिनांक:- 13.6.2012
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

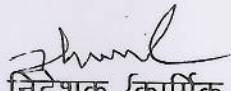
1. उपशासन सचिव, वित्त {राजस्व} विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

को प्रेषित कर लेख है कि कार्य की महत्वता को देखते हुए स्थानान्तरित लेखाकर्मियों को अविलम्ब कार्यमुक्त करने का कष्ट करें ।

3. कोषाधिकारी.....
4. निजी सहायक निदेशक महोदय
5. श्री सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/क०लेखाकार कार्यालय

को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश की पालना में नवपदस्थापित कार्यालय में अविलम्ब कार्यग्रहण करें । कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में स्वतः ही कार्यभार छोड़कर कार्यग्रहण करें ।

6. कम्प्यूटर शाखा { वेबसाईट हेतु }
7. निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका


संयुक्त निदेशक {कार्मिक-III}